STLL Sindhu Trade Links Limited

Regd. Office : 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035

Ref. No. STLL/BSE/2022-23/04 Dated 4/4/2022

To

The Manager (Listing),
B.S.E. Ltd.
Floor 25, P.J Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

Sub: Sindhu Trade Links Limited
Scrip Code: 532029
Publication of Advance Notice under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Sir,

In compliance with regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are hereby enclosing copies of newspaper Hari Bhoomi (Hindi) & Financial Express (English) for advance notice of the Board Meeting.

Please take the same on your record for the Company.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For **Sindhu Trade Links Limited**

SINDHU TRADE LINKS LIMITED

(Company Secretary)

Corporate office : 701, 7th Floor, Signature Tower, Sector-30,Gurugram, Haryana-122003
Telephone: 0124-6913083, E-mail: corporatecompliance@sindhutrade.com
Website: www.sindhutrade.com, CIN No. : L63020DL1992PLC121695

खबर संक्षेप

गोकुलपुरी में नाले के किनारे मिला भ्रूण

नई दिल्ली। गोकुलपुरी थाना इलाके में नाले के किनारे एक भ्रूण मिला। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भ्रूण को वहां फेंक कर कौन गया है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात लोगों ने गोकुलपुरी नाले के किनारे एक मानव भ्रूण देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लिया। भ्रूण लड़के का था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका।

युवक पर चाकू व डंडों से किया जानलेवा हमला

नई दिल्ली। सीलमपुर थाना इलाके में तीन युवकों ने युवक पर चाकू व डंडों से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल का नाम अकरम (30) है। पुलिस ने अकरम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, अकरम, न्यू सीलमपुर इलाके में सपरिवार रहता है। वह ऑटो चलाता है। अकरम के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब 8:30 बजे वह सीलमपुर शौचालय के पास मौजूद था। इसी दौरान इलाके के रहने वाले गुलफाम, दानिश व दिलशाद वहां पहुंचे और अचानक से बेसबॉल व चाकू से हमला कर दिया। खून से लथपथ होने के बाद वह मौके से फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।

एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए चोर

नई दिल्ली। साउथ-ईस्ट जिले के अली विहार इलाके में चोरों ने एसबीआई के एटीएम पर धावा बोल दिया। चोर एटीएम के पैसे समेत पूरा एटीएम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के अलावा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक, अली विहार इलाके में लगे एसबीआई के एटीएम पर चोरों ने धावा बोला और पूरी मशीन को उखाड़ कर ले चले गए। लोगों ने सुबह जब एटीएम को देखा तो एटीएम गायब था।

दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। लंबे समय के बाद दिल्ली में शनिवार को कोरोना से संक्रमण दर 0.7 फीसदी से अधिक रहा। हालांकि राहत की बात है कि मौत का आंकड़ा जीरो रहा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को कोरोना के 114 नए मामले सामने आए। वहीं 88 मरीजों को छुट्टी दी गई। शनिवार को किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना की जांच के लिए शुक्रवार को 16061 टेस्ट हुए जिसमें 0.71 फीसदी मरीज संक्रमित पाए गए।

326 मोहल्ला क्लीनिक का संचालन अस्थायी कक्षों में किया जा रहा हैः सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली में कुल 520 मोहल्ला क्लीनिक में से 326 का संचालन अस्थायी कक्षों (पोर्टा केबिन) जबकि 166 का संचालन किराये के मकानों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 1,000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (एएएमसी) खोलने का है। हाल में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कुल 520 मोहल्ला क्लीनिक खोले गए हैं (जिनमें से 24 शाम की पाली में संचालित हो रहे हैं) जबकि 326 मोहल्ला क्लीनिक का 'पोर्टा केबिन' में संचालन किया जा रहा है।

अमेरिकी दूतावास के साइन बोर्ड को खराब करने व पोस्टर चिपकाने वाला दबोचा

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

खास बातें
- हिंदू सेना नामक संगठन ने पोस्टर चिपकाने की ली थी जिम्मेदारी
- संगठन के अध्यक्ष की तलाश कर रही है पुलिस

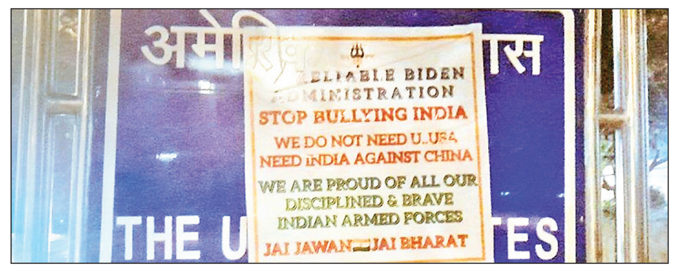

अमेरिकी दूतावास के साइन बोर्ड को खराब करने व उस पर एक पोस्टर चिपकाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान पवन कुमार ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को वह अपने अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के साथ अमेरिकी दूतावास के पास पहुंचा था और विष्णु गुप्ता के निर्देश पर उसने अमेरिकी दूतावास के साइन बोर्ड पर एक पोस्टर चिपका दिया और विष्णु गुप्ता ने उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस विष्णु गुप्ता की तलाश कर रही है।

डीसीपी (नई दिल्ली) अमृता गुगुलोथ के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 10:15 बजे अमेरिकी दूतावास के साइन बोर्ड खराब किए जाने के मामले में पुलिस को की सूचना मिली थी। हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उक्त साइन बोर्ड पर कथित पोस्टर लगा पाया गया। पोस्टर को तुरंत हटा दिया गया।

पुलिस ने दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं, हिंदू सेना नामक एक दक्षिणपंथी संगठन ने दूतावास के साइन बोर्ड पर पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी ली है। दरअसल, किसी ने अमेरिकी दूतावास के साइन बोर्ड पर पोस्टर चिपका कर जो बाइडेन को दी चेतावनी है। पोस्टर में लिखा है कि गैर भरोसेमंद बाइडेन प्रशासन...भारत को धमकाना बंद करो। हमें आपकी जरूरत नहीं है...अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है। हमें सभी अनुशासित और बहादुर भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी पवन को इस मामले में पकड़ लिया।

लाजपत नगर में की थी कार में तोड़फोड़ और फायरिंग

शिब्बू गैंग के तीन बदमाशों से पांच पिस्टल और 11 कारतूस बरामद

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच ने शिब्बू गैंग के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पांच पिस्टल और 11 कारतूस बरामद हुये हैं। गिरफ्तार बदमाशों के नाम दीपक उर्फ गंजा, शाहरुख उर्फ भूरा और जितेंद्र उर्फ लंबू बताये गये हैं। बरामद हथियारों में तीन ऑटोमेटिक और दो कट्टे शामिल है।

डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश देव के अनुसार 16 फरवरी को लाजपत नगर में कपिल पंवार नामक शख्स अपनी कार सुधरवाने गया था। इसी दौरान शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू सात से आठ लोगों के साथ वहां पहुंचा और कपिल की कार पर हमला कर दिया। कार को क्षतिग्रस्त कर सभी आरोपी वहां से फरार हो गये थे। इसके बाद बदमाशों ने कपिल की कार पर फायरिंग भी की थी। इस केस में सात आरोपियों को अरेस्ट किया गया था जबकि चार फरार चल रहे थे। पुलिस जांच में पता चला था कि कपिल का भी आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही उसका शिब्बू से पुरानी रंजिश चल रही थी।

खास बात
- बरामद हथियारों में तीन ऑटोमेटिक और दो कट्टे शामिल

कांस्टेबल सूर्या देव को मिली बदमाशों के बारे में टिप

पुलिस अफसरों ने बताया कि 29 मार्च को कांस्टेबल सूर्या देव को बदमाशों की मूवमेंट के बारे में टिप मिली थी। इसके बाद इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने देवली रोड पर सब्जी मंडी के पास ट्रैप लगाया और सुबह करीब सवा नौ बजे मुखबिर के इशारे पर स्कूटी सवार दो लोगों को रूकने का इशारा किया गया। लेकिन बदमाशों ने भागने का असफल प्रयास किया। पकड़े जाने पर दोनों बदमाशों के नाम दीपक और शाहरुख पता चले। दोनों शिबेक सिंह उर्फ शिब्बू गैंग के सक्रिय सदस्य थे। इनके पास से दो पिस्टल और पांच कारतूस बरामद हुये। स्कूटी की जांच की गई तो उसमें से एक देशी कट्टा और दो कारतूस मिले।

पुलिस रिमांड पर बताया साथी का नाम

पुलिस ने दोनों बदमाशों को दो दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जिसमें दीपक ने तीसरे साथी जितेंद्र का नाम बताया। 31 मार्च को पुलिस ने खानपुर रेड लाइट के पास एमबी रोड पीपल चौक से जितेंद्र को दबोच लिया। इसके पास से भी हथियार बरामद हुये। दीपक सात और जितेंद्र चार मामलों में शामिल पाया गया है।

चोरी केस में वांटेड 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 25 हजार के इनामी को अरेस्ट किया है। आरोपी दो साल पुराने रानीबाग थाने के चोरी के मामले में भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। इसका नाम मुकेश कुमार बताया गया है। वह जींद, हरियाणा के विजय नगर का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है। डीसीपी दीपक यादव के अनुसार इंस्पेक्टर विकास राणा और गोविंद चौहान की टीम को इसके बारे में सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम जींद पहुंची और विजय नगर इलाके से इसे दबोच लिया। मुकेश मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता है। वह शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। स्कूल ड्रॉपआउट मुकेश शिकायतकर्ता के पास ड्राइवर के तौर पर काम करता था।

आर्य समाज का 148 वां स्थापना दिवस मनाया

नई दिल्ली। आर्य समाज सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, समाज सुधार तथा देश की आजादी में सदा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। डॉक्टर स्वामी देवव्रत सरस्वती, प्रधान सेनापति, सार्वदेशिक आर्य वीर दल ने आर्य ऑडिटोरियम ईस्ट आफ कैलाश में आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली द्वारा आयोजित 148 वें आर्य समाज स्थापना दिवस एवं भारतीय नववर्ष 2079 के शुभ अवसर पर ये विचार व्यक्त किये। उन्होंने कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं राष्ट्रभक्त, बुद्धिजीवियों से आग्रह किया कि वे पिछड़े, सुदूर क्षेत्रों के लोगों में अज्ञानता का अंधेरा दूर करने के लिए आगे आए। कार्यक्रम में सुरेंद्र रैली कार्यकारी प्रधान, आर्य केंद्रीय सभा, विनय आर्य महामंत्री, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, नित्यंजय चौधरी, सचिव आर्य अनाथालय दरियागंज, प्रोफेसर सुधीर कुमार गुप्ता, प्रभारी संस्कृत विभाग, जेएनयू, डॉ उमा आर्य, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपने प्रेरक विचार रखे। प्रैस सचिव चन्द्र मोहन आर्या ने बताया कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य ने सभी आर्य जनों को आर्य समाज के 148 वें स्थापना दिवस की बधाई दी तथा आर्य समाज के मानव निर्माण के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के बाद आर्य समाज ही वह शिक्षण संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य कर रही है। महामंत्री सतीश चड्डा के अनुसार इस मौके पर वैदिक मिशनरी कर्मठ कार्यकर्ताओं में श्रीमती चंदा सचदेवा, कंवर भान खेत्रपाल, विद्या भूषण गुप्ता, तेजराम फोर की स्मृति चिन्ह व शाल देकर सम्मानित किया गया।

तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मां-बेटी को मारी टक्कर, महिला की मौत

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- हादसे में घायल बेटी को उपचार के बाद मिली छुट्टी
- पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी

समयपुर बादली थाना इलाके में एक अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रही मां-बेटी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका का नाम कमलेश (55) है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं, हादसे में घायल पलक (15) को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर वाहन चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, कमलेश, गली नंबर –दो, स्वरूप नगर में सपरिवार रहती थी। परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं। उनके दो बच्चों की शादी हो चुकी है। करीब आठ वर्ष उनके पति सुरेंद्र भारद्वाज का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। कमलेश के रिश्तेदार ने बताया कि शुक्रवार को वह अपनी बेटे के साथ स्कूल उसके पीटीएम में गई थी। इसके बाद वह अपने बेटे से मिलने के लिए रोहिणी गई थी। बेटे से मिलने के बाद शाम करीब चार बजे स्वरूप नगर पहुंची और सड़क पार करने लगी। इस दौरान अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में कमलेश की मौत हो गई।

बहन की गला घोंटकर हत्या, पकड़ा

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

- परिवार से अलग रहते थे दोनों, नशे के थे आदि
- पुलिस को आरोपी मौके पर ही मिला

महेंद्र पार्क थाना इलाके में झगड़े के दौरान एक भाई ने अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका का नाम विनीता (24) है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम विकास है। जांच में पुलिस को पता चला कि दोनों नशे के आदी है। पुलिस को आरोपी विकास मौके पर ही मिल गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

डीसीपी (नॉर्थ-वेस्ट) उषा रंगनानी के अनुसार, शनिवार शाम करीब चार बजे महेंद्र पार्क थाना पुलिस को बी-93, गली नंबर- 5, रामगढ़, दिल्ली में एक महिला की हत्या करने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को मौके पर एक महिला का शव कमरे के एक कोने में पड़ा मिला। पुलिस उसे लेकर अस्पताल में गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान विनीता के रूप में हुई। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मृतका विनीता और उसका भाई विकास दोनों नशे के आदी थे। वे घर पर अकेले थे, यहां रहते थे। दोनों के बीच छोटी-मोटी घरेलू बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। झगड़े के दौरान ही उसने विनीता का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस को आरोपी विकास मौके पर मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने बहन की हत्या की बात भी कबूल कर ली।

कनॉट प्लेस में एक रेस्तरां में आग लगी

नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में शनिवार को परिक्रमा रेस्तरां में मामूली आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब 5 बजकर 33 मिनट पर रेस्तरां में आग लगने की सूचना मिली।

SINDHU TRADE LINKS LIMITED
Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035
CIN: L63020DL1992PLC121695

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be convened on Friday, 08th April, 2022 at 12.00 P.M., to discuss, consider and approve the issue of Bonus Shares and Change of Company's Name as to signify the existing business.

This said information is also available on the Company's website at www.sindhutrade.com and may also be available on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

By the order of the Board
For Sindhu Trade Links Limited
Sd/-
Place: Gurugram Satya Pal Sindhu
Date: 02.04.2022 Managing Director

कोविड-19 की रोकथाम का ठीक से पालन नहीं हो पाने के कारण लगाई गई थी रोक

निजी दुकानों को शराब की एमआरपी पर छूट देने की फिर मिली मंजूरी

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री करने वाली निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 फीसदी कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने गत फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट एवं बिक्री योजनाओं पर रोक लगा दी थी। यह फैसला कोविड-19 की रोकथाम से जुड़ी पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो पाने और अनुचित बाजार बर्ताव की वजह से किया गया था। हालांकि आबकारी आयुक्त के नए आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार छूट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है। सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी।

25 फीसदी तक की छूट

दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में फिर से शराब बिक्री पर छूट देने की मंजूरी दे दी। इस आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं। इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा। दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को निर्धारित नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा और किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शराब माफिया से मिलीभगत के चलते शराब बिक्री पर फिर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूटः चौ अनिल

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ अनिल कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की शराब माफिया से मिलीभगत के चलते दिल्ली में शराब बिक्री पर फिर से 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल व शराब माफिया से मिलीभगत के चलते ही दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शराब बिक्री पर छूट व एक के साथ एक मुफ्त बिक्री पर रोक लगाने के बावजूद फिर से छूट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा नवरात्रों व रमजान में शराब की बिक्री पर 25 प्रतिशत की छूट देना, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य है। नई शराब नीति के बाद दिल्ली में केजरीवाल ने सरकारी शराब की दुकानें बंद करवाकर 849 निजी कंपनियों को ठेके अलॉट करके भारी भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल सरकार अब एनसीआर क्षेत्रों से सस्ती शराब दिल्ली में उपलब्ध करवाकर युवाओं को नशे की ओर धकेलने में लगी है।

शराब की कीमत पर 25 प्रतिशत छूट की स्कीम वाली अनुमति वापस ले केजरीवाल सरकार : भाजपा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार का शराब के दामों में 25 प्रतिशत की छूट देने का शुक्रवार का निर्णय स्पष्ट करता है कि इससे पूर्व भी जो एक बोतल पर एक फ्री जैसी योजनाएं शराब माफिया लाया था उन पर भी केजरीवाल सरकार की मूक स्वीकृति थी। प्रवक्ता ने कहा कि तीन सप्ताह पहले एक बोतल पर एक फ्री जैसी स्कीम पर जो प्रतिबंध दिल्ली सरकार ने लगाया था, उसका मकसद केवल समाज में खासकर महिलाओं में उत्पन्न विरोध को शांत करने की चाल था। शनिवार को शराब माफिया को जो 25 प्रतिशत की छूट स्कीम केजरीवाल सरकार ने दी है। यह शराब बिक्री बढ़ाने को प्रशासनिक स्वीकृति है और इससे मुख्य मंत्री के नशा विरोधी दावों की पोल खुल गई है।

पिस्टल के बल पर बदमाशों ने दंपति से की लूटपाट की कोशिश

नई दिल्ली। न्यू उस्मानपुर थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल के बल पर परचून की दुकान चला रहे दंपति से लूटपाट की कोशिश की। इसके बाद मौके से फरार हो रहे बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और वे मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने प्रियंका गर्ग (37) की शिकायत पर लूटपाट और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक, प्रियंका गर्ग, ब्रह्मपुरी में सपरिवार रहती हैं। उनके पति मकान के ग्राउंड फ्लोर पर सुमित गर्ग परचून की दुकान चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम करीब 6:00 बजे वह अपने पति के लिए चाय लेकर नीचे गई थी। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन बदमाश वहां आए। तीनों ने चेहरे पर सफेद कपड़ा लपेट रखा था। तीनों ने उनके पति की तरफ पिस्टल तानकर कहा कि हमारा हुक्म कैसे टाल दिया। पत्नी ने पूछा कैसा हुक्म। आरोप है कि बदमाश कहने लगे कि जाओ और माल निकालकर लाओ। दोनों ने बदमाशों का विरोध किया तो वो घबराकर वहां से फरार हो गए। तीनों लड़कों के वहां से आगे निकलते ही फायरिंग की आवाज आई।

उत्तर रेलवे

रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, सोनीपत
निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य कार्यशाला प्रबंधक कार्यालय, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, सोनीपत, उत्तर रेलवे, निम्नलिखित कार्य के लिए ई–निविदा आमंत्रित करते हैं।

1.	निविदा संख्या	E-file No. 100629 RT
2.	कार्य का नाम और कार्य स्थान	छह महीने की अवधि के लिए उत्तर रेलवे, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना/एसएनपी में कार्य के दायरे के अनुसार 25 एलएचबी एसी कोचों के लिए स्विच बोर्ड कैबिनेट की स्ट्रिपिंग, फिटमेंट, परीक्षण और चालू करने का प्रावधान।
3.	अनुमानित लागत	रूपये 9226112/– जीएसटी @ 18% सहित।
4.	बयाना राशि	184500
5.	निविदा फार्म का मूल्य	शून्य
6.	कार्य अवधि	अवधि कार्य आरम्भ होने से छह महीने।
7.	निविदा प्रपत्र जमा करने की तथा खुलने की तिथि व समय	दिनांक 16.04.2022 11:00 बजे तथा खुलने का समय 11:30 बजे।
8.	निविदा प्रपत्र डाउन लोड करने के लिए इंटरनेट साइट	उपरोक्त निविदा IREPS साईट पर उपलब्ध है जो कि है www.ireps.gov.in
9.	यदि हिंदी व इंग्लिश के नोटिस में कोई विरोधाभास है, तो इंग्लिश का नोटिस ही मान्य होगा।	

पत्र सं. E-file No. 100629 RT दिनांक: 01.04.2022 719/2022

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

Bhangel Branch Bhangel Noida (Gautam 199083 Mob. : a.com

Possession Notice, Under Rule 8(1) of

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of the uction of Financial Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 200 n 13(12) read with 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement pon the Borrower upon the Borrowers Mrs Jagwati, Mr. Jagdish and Mr. 6 upto 13.12.2021 Rs.28,71,589.68 upto 31-05-2021 including interest and furthe of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is at the undersigned undersigned has taken possession of the property described h nd sub Section (4) 13 and sub Section (4) of the said Act read with Rule 8 of the se 22. of the year 2022.

The Borrower in particular and the public in general is hereby th the property will property will be subject to the charge of Bank of Baroda, for a urther interest and and further interest and other expenses thereon till date of paym

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section ble, to redeem the the secured assets.

Description of the ehshil and district

Residential House no. 74, which is situated at Block-A, Sector - mtr

DATE: 29-03-2022, PLACE: NOIDA Bank of Baroda

SINDHU TRADE LINKS LIMITED

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035
CIN: L63020DL1992PLC121695

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be convened on Friday, 08th April, 2022 at 12.00 P.M., to discuss, consider and approve the issue of Bonus Shares and Change of Company's Name as to signify the existing business.

This said information is also available on the Company's website at www.sindhutrade.com and may also be available on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

By the order of the Board
For Sindhu Trade Links Limited
Sd/-

Place: Gurugram — **Satya Pal Sindhu**
Date: 02.04.2022 — **Managing Director**

पंजाब नैशनल बैंक pu ...भरोसे का प्रतीक!
Circle Sastra Centre Circle Office Meerut-West, LIC Buid

vya Palace, Salarpur, Main Dadri Road, Bhangel Noida, dh Nagar) U.P.-201304, Phone : 0120-6999083 0084863 E-mail: bhange@bankofbaroda.com

urity Interest Enforcement Rules,2002

Whereas, been the Authorized Officer/s of the Pu f Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in ex nd in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rules, 2002, issued demand notice/s on the dates m a Demand Notice dated 03.01.2022 calling upon the Borrower as mentioned against each account within 60 days fr t mentioned in the notice being Rs.12,55,600.35 upto 13.12.2021 repay the amount, notice is hereby given to the borro om the date of receipt of the said notice. property/ies described herein below in exercise of p ven to the Borrower and the public in general that the undersigned Security Interest Enforcement) Rules, 2002, on the T e of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) property/ies and any dealing with the property/ies w le 2002 on this 29th day of March of the year 2022. The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is not to deal with the property and any dealings with the property will redeem the secured assets. ,600.35 upto 13.12.2021 including interest and further interest and

Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the

ovable Property

h roof situated in Indirapuram Ghaziabad, Dist. Ghaziabad having

House Number 249 B — South- Block

harm Singh Gautam), Authorised Officer, Bank of Baroda

Sl. No.	(a) Name of Branch/ (b) Name of Account (c) Name of Borrowers/Guarantor/ Mortgager & Address	
1.	(a) Branch: Kankerkhera (b) M/s A D Industries (c) Borrower: M/S A D Industries represented by Prop Aamil khan s/o Shri Mohammad Vasi R/o 93, Haazipur, Post Ghosipur, Hapur Road, Meerut,250002	1. Hypot finished Kitchen All that Resident Hazipur, in the n Under: E Memoria of other.
2.	(a) Branch: Kankerkhera (b) Mr Mahesh Chand Verma s/o Jai Bhagwan Verma (c) Borrower: Mr. Mahesh Chand Verma s/o Jai Bhagwan Verma R/o 497/A, Phool bagh Colony, opposite Gemini Inter College, Gandhi Ashram M	All that p No. 1 p Meerut a as Under main roa
3.	(a) Branch: Kazmabaad Goon (b) Smt. Afreen Begum W/o Sh. Tamanne Babu (c) Borrower: Smt. Afreen Begum w/o Sh. Tamanne Babu & Sh. Tamanne Babu s/o Sh. Ameerul Hasan R/o H.N. 1/194 (EWS), Ground Floor, Madhuban, Bapudham Colony, Ghaziabad, UP.	All that p Property Madhuba measurin Stairs & South: H
4.	(a) Branch: Subharti KKB Charitable Trust (b) Sh. Kanwarpal S/o Sh. Ramphool (c) Borrower: Sh. Kanwarpal S/o Sh. Ramphool and Sh. Vikas S/o Sh. Kanwarpal R/o H No. 38 A Khasra No 84 MI, Vill Bisokhar, Mohalla Manavtapuri, Tehsil Modinagar, Distt Ghaziabad	All that p No. 38 A Tehsil Mo Under: Ea North: 26 house Aja
5.	(a) Branch: Kankerkhera (b) M/S M M R Industries (c) Borrower: M/S MMR Industries represented by Erstwhile partners Mrs. Meenu Agarwal W/o Sh. Piyush Agarwal and Mrs. Manya Banga w/o Sh. Mohit from and now represented by partners Mrs. Rachna Bansal w/o Sh. Abhishel Bansal and Shri Abhishek Bansal s/o Late Shri Rakesh Bansal Khasra No.-794 (Part), Nanglamal Garh Road, Meerut	1. Hypoth All that pa and buildi Dharam K mtr. in the Bounded Mr. Ompa At present Agarwal &

Date: 02.04.2022

vya Palace, Salarpur, Main Dadri Road, Bhangel Noida, dh Nagar) U.P.-201304, Phone : 0120-6999083 0084863 E-mail: bhange@bankofbaroda.com

urity Interest Enforcement Rules,2002

Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial d in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with a Demand Notice dated 03.01.2022 calling upon the Borrower e notice being Rs.10,36,163.22 upto 03.01.2022 including interest ipt of the said notice.

en to the Borrower and the public in general that the undersigned e of powers conferred on him under Section 13 and sub Section (4) le 2002 on this 29th day of March of the year 2022.

not to deal with the property and any dealings with the property will 163.22 upto 03.01.2022 including interest and further interest and

Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the

ovable Property

ar situated in Jaipuria Sunrise Plaza , Plot no.-12A, Ahinsa Khand a 6.57 sq. mtrs bounded as under-

Road 100' Wide, — South: Road 120' Wide

arm Singh Gautam), Authorised Officer, Bank of Baroda

Debts Recovery Tribunal-I, Delhi

4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

O.A. No. 930/2019

Canara Bank (Syndicate Bank) — **Applicant**

Versus

Sandeep Goswami — **Defendants**

To,

1. Sh. Sandeep Goswami S/o Sh. R. Kishan Giri, R/o 132, 3rd Floor, Chitra Vihar, New Delhi-110092 **Also at:** D-56, 1st Floor, Old Double Storey, Lajpat Nagar, New Delhi-110024 — Defendant 1

2. Mrs. Divya Verma W/o Sh. Sandeep Goswami, R/o 132, 3rd Floor, Chitra Vihar New Delhi-110092 — Defendants 2

3. Sh. Amrendra Kumar S/o Sh. Prayag Yadav, R/o : A-33, Gali No. 10, 3rd Floor, Shakarpur West Vinod Nagar, New Delhi-110092 — Defendants 3

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of **Rs. 3,09,41,674.00 (Rs Three Crore Nine Lacs Forty One Thousand Six Hundred Seventy Four Only)** against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on **11-05-2022 at 10.30 A.M. (for further details kindly visit DRT website www.etribunal.gov.in) Phone No. 011-23748473)**

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:-

(i) All the Advocates/Litigants shall download the **"Cisco Webex"** application / Software;

(ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. **"drt.gov.in"** under the Public Notice Head.

(iii) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this **02nd April, 2022**

by order of this Tribunal
for Assistant Registrar

Respondent may contact under mention phone number for further enquiry.
Amit K. Dar, Ld. Registrar, DRT-I, New Delhi, Phone.: 011-23748473
E-mail: drt1delhi-dfs@nic.in

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

केनरा बैंक Cana LE ON

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT 3)
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-I 10001